12-04-2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बारबार आवाज लगवाई गयी। वकील प्रार्थी अथवा विवादित पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह ~~निर्णय~~ निर्णय आज दिनांक 12-04-2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला, सीकर